

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- बरदहगैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास- दिनांक 01.09.23 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार दुबे व उच्चाधिकारीगण द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 358/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1.हरिलाल पुत्र रामचन्द्र ग्राम बंधवा इस्लामपुर थाना बरदह आजमगढ़ 2. कैलाश यादव पुत्र सभाजीत ग्राम विशुनपुर बसवट हालपता खलसहा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 3. पप्पू यादव उर्फ नरेन्द्र यादव पुत्र राजदेव यादव ग्राम पौना थाना जफराबाद जनपद जौनपुर 4. रमेश यादव पुत्र राजकुमार यादव ग्राम अजाऊर थाना बरदह आजमगढ़ 5. राहुल गौतम पुत्र रामहरख ग्राम अजाऊर थाना बरदह आजमगढ़ 6. दुलारचन्द्र पुत्र स्व0 फूलचन्द्र ग्राम माधोपुर धरांग थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 7. शिवशंकर गुप्ता पुत्र होरीलाल ग्राम बरौना थाना बरदह आजमगढ़ 8. रामू राम पुत्र मुन्नर राम ग्राम बरौना थाना बरदह आजमगढ़ 9. रामचन्द्र प्रजापति पुत्र पंचम प्रदापति ग्राम कोदहरा थाना बरदह आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रमेश यादव, 2. पप्पू यादव, 3. शिवशंकर गुप्ता, 4. रामू गुप्ता, 5. रामचन्द्र प्रजापति को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 16.11.23 को थानाध्या कौशल कुमार पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिलाल पुत्र रामचन्द्र सा0 बंधवा इस्लाम थाना बरदह आजमगढ़ को समय 08.45 बजे बंधवा इस्लाम तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 358/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- हरिलाल पुत्र रामचन्द्र सा0 बंधवा इस्लाम थाना बरदह आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 64/23 धारा 34/342/386 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 358/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक थाना बरदह, आजमगढ़

2. का0 सूरज कुमार सिंह थाना बरदह, आजमगढ़

3. का0 आशुतोष कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

4. म0आ0 प्रीती पटेल थाना बरदह, आजमगढ़

थाना मेंहनाजपुरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 16.11.23 को उ0नि0 कपिलदेव राम मय हमराह द्वारा चिल्लुपूर मोड़ पर चेकिंग के दौरान जौनपुर की तरफ से एक मोटरसाईकिल चिल्लुपूर मोड़ की तरफ आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गयी तो मोटरसाईकिल चालक बहादुर यादव पुत्र स्व0 रामलाल यादव निवासी ग्राम करेनहुआ उचहुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर के पास से 01 तमन्चा .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ जिससे तमन्चा व कारतूस रखने का लाईसेन्स मांगा गया तो प्रस्तुत करने में असफल रहा। अभियुक्त को उसके जर्म धारा 3/25 A Act का बोध कराते हुए समय करीब 04.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 236/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 236/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:- 1- बहादुर यादव पुत्र स्व0 रामलाल यादव निवासी ग्राम करेनहुआ उचहुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

बरामदगी विवरण- 01 तमन्चा .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर

आपराधिक इतिहास -

1.-मु0अ0सं0 34/19 धारा 147,323,325,427,452,504,506 भादवि थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 109/20 धारा 308,323,336,452,504,506 भादवि थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 143/23 धारा 272,273,419,420 भादवि व 60(1),63 आबकारी अधिनियम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 67/20 धारा 147,323,341,504,506 थाना चंदवक जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 कपिलदेव राम थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़

2. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव हे0का0 संतोष यादव थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 16.11.2023 को उ0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राजेन्द्र निषाद पुत्र रामअवध निषाद निवासी खीरीडीहा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को देवरिया मोड़ से समय 10.40 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 01 नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 311/2023 धारा 3/25 A.Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- 1. राजेन्द्र निषाद पुत्र रामअवध निषाद निवासी खीरीडीहा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 311/2023 धारा 3/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा .315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- राजेन्द्र निषाद पुत्र रामअवध निषाद निवासी खीरीडीहा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 94/2020 धारा 392/411/120B/34 IPC थाना मुबारकपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 144/2020 धारा 307 IPC थाना मुबारकपुर आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 37/2021 धारा 307 IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 38/2021 धारा 3/25 A Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 218/2021 धारा 363/366/376 IPC व 5(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 353/2022 धारा 174A IPC थाना कप्तानगंज आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 32/2023 धारा 8/20 NDPS Act थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 वंशराज सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. आरक्षी अखिलेश कुमार, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. आरक्षी संदीप दूबे, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर

गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.10.2018 को तत्कालीन उ0नि0 राजीव कुमार थाना सरायमीर मय हमराह द्वारा बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 177/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम 1. तालिब पुत्र मतीउद्दीन व 2. आकिब पुत्र अशफाक निवासीगण फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया, उच्चाधिकारीगण के आदेश के क्रम में थाना स्थानीय पर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 332/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.11.2023 प्रभारी निरीक्षक श्री यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त तालिब पुत्र मतीउद्दीन निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.25 बजे संजयपुर बाजार से हिरासत पुलिस में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 332/23 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- तालिब पुत्र मतीउद्दीन निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-177/2018 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 332/23 धारा 3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 संजय कुमार, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अतुल प्रताप सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. का0 रमेश चन्द्र गौड़, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
5. महिला आरक्षी सारिका नायक, थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना सरायमीर

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक-15.11.2023 को वादी सुरेन्द्र यादव s/o राम प्रसाद यादव ग्राम गाहूखोर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि वादी की माँ दि० 15/11/2023 को सुबह 5 बजे प्रतिदिन की तरह अपनी जमीन में जहाँ गाय को बाधती वहाँ बाँध रही थी, उसी समय विपक्षी राम आसरे की पत्नी गाली गलौच देकर हटाने लगी तभी मेरी माँ ने इसका विरोध किया तो राम आसरे की पत्नी व रामआसरे यादव पुत्र निहोरी यादव व अखिलेश यादव , मिथिलेश यादव पुत्रगण राम आसरे तथा मीरा पत्नी मिथिलेश व अनीता पत्नी अखिलेश यादव ने अपने-अपने हाथों में लाठी डंडा व धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) लेकर मेरी माता को एकजुट होकर मारने लगे जिस सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु०अ०सं०-330/2023 धारा 307,323,504,506,452,427,34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.11.2023 उ०नि०विजय बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामआसरे यादव पुत्र स्व० निहोरी यादव सा० गाहूखोर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को चक्रिया चौराहे पर समय करीब 13.05 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०-330/2023 धारा 307,323,504,506,452,427,34 भादवि ।

गिरफ्तार अभियुक्त- रामआसरे यादव पुत्र स्व० निहोरी यादव सा० गाहूखोर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० विजय बहादुर सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का० आशु सिद्दीकी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का० आलोक कुमार, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

दहेज उत्पीडन में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 04.10.2023 को वादिनी/पीड़िता ने थाना अतरौलिया पर लिखित सूचना दिया कि पति नरसिंह प्रजापति पुत्र रामनाथ प्रजापति ग्राम चुरैला थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर व परिजनों द्वारा वादिनी से दहेज में 10 लाख रूपया की मांग किया जाता है व न देने पर उक्त लोग मारते पीटते , गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया जाता है मारना पीटना, गाली गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी दिया जाता है तथा मेरे जेठ द्वारा मेरे साथ छेड़खानी किया जाता है के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु०अ०सं० 325/23 धारा 323/504/506/354/498A IPC व 3/4 DP ACT बनाम 1. नरसिंह प्रजापति पुत्र रामनाथ प्रजापति (पति) 2. रामनाथ प्रजापति (ससुर) 3. केवला देवी पत्नी रामनाथ प्रजापति (सास) 4. रेनू देवी पत्नी अवधेश प्रजापति (जेठानी) 5. अवधेश प्रजापति पुत्र रामनाथ प्रजापति (जेठ) 6. संदीप ऊर्फ बृजपाल प्रजापति पुत्र रामनाथ प्रजापति (देवर) निवासीगण ग्राम चुरैला पो० अरई थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर पंजीकृत विवेचना उ०नि० हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी । विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 377 IPC की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 16.11.2023 को उ०नि० हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नरसिंह प्रजापति पुत्र रामनाथ प्रजापति निवासी चुरैला थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर को प्राथमिक विद्यालय हसनपुर केरवरिया जनपद अम्बेडकरनगर से समय करीब 12.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिये। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग – मु०अ०सं० 325/23 धारा 323/504/506/354/498A/377 भादवि व 3/4 DP ACT थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त – नरसिंह प्रजापति पुत्र रामनाथ प्रजापति निवासी चुरैला थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ०नि० हीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. हे०का० मनोज यादव
3. का० दीपक कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़